दिनांक-17फरवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वाले व्यापारी पर उड़नदस्ता ने लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 06 गदा चौक, राजेन्द्र प्रसाद चौक सुपेला, नंदनी रोड, वार्ड 05, आदर्श नगर, राजीव नगर, गौतम नगर, लक्ष्मीनगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल , गिलास का विक्रय करने, बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस के व्यवसाय करने तथा सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 14,500 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की तथा बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले व सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों को दोबारा ऐसा न करने की समझाइश दी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने राजेन्द्र प्रसाद चौक सुपेला , नंदनी रोड, वार्ड 05, आदर्श नगर, राजीव नगर, गौतम नगर, लक्ष्मीनगर के क्षेत्रों के किराना दुकान , बाजार, होटल आदि में लाइसेंस व सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की!

जनसम्पर्क अधिकारी